ए.

विप्रो फाइनेंस लिमिटेड बनाम.

आय कर आयुक्त (2008 की सिविल अपील संख्या 6677) 12 अप्रैल, 2022

बी.

[ए. एम. खानविलकर, अभय एस. ओका और सी. टी. रविकुमार, जे. जे.]

आय कर अधिनियम, 1961:धारा 37-अस्वीकृति-निर्धारिती द्वारा वर्तमान भारतीय उद्यम को पट्टे पर देने और पूंजी उपकरणों की खरीद के अपने प्राथमिक व्यवसाय का विस्तार करने के लिए विदेशी मुद्रा में उधार लिया गया ऋण-ऋण का भुगतान करते समय, विदेशी मुद्रा की दर में अंतर के कारण, निर्धारिती को अधिक राशि का भुगतान करना पड़ता था, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी को नुकसान होता था-विनिमय में उतार-चढ़ाव के कारण आय की हानि के कारण कटौती के लिए दावा-आयोजितःऋण का लेन-देन धन उधार लेने की प्रकृति का था जो उसके वित्तपोषण के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक था-यह निर्धारिती के व्यवसाय से संबंधित गतिविधि थी न कि अपीलार्थी द्वारा अपने प्राथमिक व्यवसाय के लिए संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए-इसलिए, निर्धारिती एस के संदर्भ में ऐसे लेनदेन के संबंध में हुए पूरे खर्च या नुकसान की कटौती का दावा करने का हकदार था।37 1961 के अधिनियम के अनुसार-आई. टी. ए. टी. के समक्ष निर्धारिती द्वारा नए दावे के संबंध में कि कुछ राशि के राजस्व व्यय को रिटर्न में गलती से पूंजीकृत किया गया था-क्योंकि आई. टी. ए. टी. के समक्ष विभाग द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली गई थी, इसलिए इस स्तर पर इसका खंडन नहीं किया जा सकता है।

सी.

डी.

ई.

इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनामआयकर आयुक्त,

एफ.

मद्रास एयर 1966 एससी 1053:[1966] 2 एससीआर 944; साम्राज्य

जूट कंपनी लिमिटेड बनामआयकर आयुक्त **(1980) 4**

एससीसी **25:[1980] 3** एस**.** सी**.** आर**. 1370-**पर निर्भर था।

राष्ट्रीय ताप विद्युत कंपनी लिमिटेड बनामआयकर आयुक्त (1997) 7 एस. सी. सी. 489; गोएत्ज़े (इंडिया) लिमिटेड बनाम.आयकर आयुक्त [2006] 284 आईटीआर 323; आयकर सहायक आयुक्त, वडोदरा बनाम एलेकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (2010) 4 एससीसी

जी.

482 :[2010] 3 एस**.** सी**.** आर**. 108-**संदर्भित।

एच.

1146

1147

विप्रो फाइनेंस लिमिटेड बनामआय कर आयुक्त ए

ए.

मामला कानून संदर्भ

(1997) 7 एस**.** सी**.** सी**. 489**

संदर्भित किया गया है

पैरा **3**

[1966] 2 एससीआर **944**

उस पर भरोसा करें

पैरा **7**

[1980] 3 एससीआर **1370**

उस पर भरोसा करें

पैरा **7**

[2006] 284 आईटीआर **323**

संदर्भित किया गया है

पैरा **11**

बी.

संदर्भित किया गया है

पैरा **12**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2008 की सिविल अपील सं. 6677।

2014 के आई. टी. ए. No.633 में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

सी.

एस. गणेश, अरिजीत प्रसाद, प्रीतेश कपूर, वरिष्ठ अधिवक्ता।, तेजवीर भाटिया, के. आर. प्रदीप, रोहन स्वरूप, गौरव शर्मा, अभिनव मुखर्जी, सुश्री अर्चना सचदेवा, सुश्री प्रगति अग्रवाल, विक्रमजीत बनर्जी, शैलेश मडियाल, सिद्धार्थ सिन्हा, जौहरी प्रकाश, तथागट, निंग सी. जेहियांग, अभिषेक महाजन, प्रशांत रावत, ओ. पी. शुक्ला, कुमार शशांक, राज बहादुर यादव, सेंथिल जगदीशन, सुश्री सोनाक्षी मल्हन, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

डी.

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

ई.

1. यह अपील आई. टी. ए. सं. 633/2004 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 2.4.2008 के फैसले और आदेश पर आपत्ति उठाती है।

2. संक्षेप में कहा गया है कि अपीलकर्ता कंपनी ने निर्धारण वर्ष के लिए 29.11.1997 पर आय विवरणी प्रस्तुत की, जिसमें अन्य बातों के अलावा, रुपये 1,10,53,909/- के विनिमय उतार-चढ़ाव के कारण आय के नुकसान का उल्लेख किया गया है।आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143 (1) (ए) के तहत विवरणी को संसाधित करने के बाद, आकलन 16.3.2000 पर पूरा किया गया था।विनिमय में उतार-चढ़ाव के कारण अपीलार्थी द्वारा घोषित नुकसान की तुलना में, निर्धारण सकारात्मक कर योग्य आय द्वारा किया गया था।उस निर्णय के विरुद्ध, मामला अपीलार्थी द्वारा आयकर आयुक्त (अपील) 2 के समक्ष अपील में किया गया था और अंततः, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण 3 के समक्ष अपील के माध्यम से आई. टी. ए. सं. 795 (बैंग)/2000 था।

एफ.

जी.

1 संक्षेप में, "1961 अधिनियम" 2 संक्षेप में, "सी. आई. टी. (ए)" 3 संक्षेप में, "आई. टी. ए. टी".

3. आई. टी. ए. टी. के समक्ष अपील में, अपीलार्थी ने न केवल विनिमय में उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न होने वाले रुपये. <आई. डी. 1,909/- के नुकसान के संबंध में कटौती का दावा किया, बल्कि रिटर्न में गलती से पूंजीकृत किए गए रुपये. 2,46,04,418/- के राजस्व खर्च के संबंध में एक नया दावा भी किया।आई. टी. ए. टी. ने अपीलार्थी द्वारा किए गए इस नए दावे पर विचार किया और अपने फैसले में दर्ज किया कि विभाग के प्रतिनिधि को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं थी।इसके अतिरिक्त, आई. टी. ए. टी. ने निर्णय का समर्थन किया

बी.

राष्ट्रीय ताप विद्युत कंपनी लिमिटेड बनाम इस न्यायालय के मामले मेंकमिश्नर

1961 के अधिनियम की धारा 254 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी के नए दावे पर विचार करने के लिए, आयकर 4 के समर्थन में। आई. टी. ए. टी. ने सबसे पहले 1961 के अधिनियम की धारा 43 ए को लागू करने के संबंध में सी. आई. टी. (ए) द्वारा दिए गए निष्कर्ष को उलट दिया। आई. टी. ए. टी. ने राय दी कि उक्त प्रावधान वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति पर लागू नहीं होता है।यह कहने के बाद, यह इस प्रश्न पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा कि क्या विनिमय उतार-चढ़ाव के कारण अपीलार्थी को हुए नुकसान को अपीलार्थी द्वारा किए गए राजस्व व्यय या पूंजीगत व्यय के रूप में माना जा सकता है, और अपीलार्थी के पक्ष में यह कहते हुए इसका उत्तर दिया कि यह राजस्व खाते पर व्यय का मामला होगा और एक स्वीकार्य कटौती होगी।आई. टी. ए. टी. ने निम्नलिखित शब्दों में इसका जवाब दियाः- “.....जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि क्या आक्षेपित व्यय या हानि राजस्व या पूंजी है, हम पाते हैं कि उधार ली गई निधियों का उपयोग निर्धारिती द्वारा किए गए नियमित वित्त व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए किया गया था।इस तरह की आय को कराधान के लिए भी पेश किया गया है और विभाग द्वारा स्वीकार किया गया है।आई. टी. नियमों के नियम 115 के अनुसार विनिमय में उतार-चढ़ाव के नुकसान की मात्रा निर्धारित की गई है।उक्त नियम को निर्धारिती की कुल आय की गणना में लागू किया जाना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय ने सी. आई. टी. बनाम चौगुले मामले में रखी थी।

सी.

डी.

ई.

कंपनी लिमिटेड**-218** आई**.** टी**.** आर**. 384**।इसके अलावा विनिमय में उतार**-**चढ़ाव का नुकसान व्यवसाय चलाने के लिए एक आकस्मिक व्यय है और अधिनियम की धारा **37** के दायरे में आता है क्योंकि यह पूरी तरह से और विशेष रूप से व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए किया जाता है।यह किसी का मामला नहीं है कि विदेशी मुद्रा में उधार ली गई धनराशि को गैर**-**व्यवसाय के लिए डायवर्ट किया गया है।

एफ.

जी.

उद्देश्य।ऐसे मामले में भारत सीमेंट मामले (उपरोक्त) में उच्चतम न्यायालय का निर्णय पूरी तरह से निर्धारिती के पक्ष में मुद्दे को शामिल करता है।हम यह भी पाते हैं कि इस मामले में निर्धारिती का दावा उच्चतम न्यायालय द्वारा निकाले गए 124 आई. टी. आर. 1 में निर्धारित सभी परीक्षणों को संतुष्ट करता है।

4 (1997) 7 एससीसी 489 ए

एच.

1149

विप्रो फाइनेंस लिमिटेड बनामआय कर आयुक्त ए

ऊपर।इस मामले में ऋण का पूरा उधार और उसी का उपयोग, कंपनी के व्यापारिक संचालन में अधिक लाभप्रद है और इस मामले में निश्चित पूंजी अछूती है।अतः व्यय राजस्व खाते में होता है और स्वीकार्य होता है।

हम यह भी पाते हैं कि निर्धारिती द्वारा किए गए नुकसान को आकस्मिक प्रकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले नुकसान की मात्रा आईटी नियमों के नियम 115 के संदर्भ में निर्धारित की गई है और आगे दायित्व सीडीसी के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार वास्तविक है। सिर्फ इसलिए कि देयता भविष्य में देय है, वास्तविक देयता को आकस्मिक देयता में शामिल नहीं करता है जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता कंपनी लिमिटेड बनाम कलकत्ता कंपनी लिमिटेड मामले में अभिनिर्धारित किया है।सीआईटी-37 आईटीआर 1 और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बनाम। सीआईटी-245 आईटीआर 428।ओ. एन. जी. सी. मामला 83 आई. टी. आर. 51 (एस. बी.) में आई. टी. ए. टी. की विशेष पीठ ने भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया है।किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो इस मुद्दे पर दावा स्वीकार्य है।तदनुसार, हम रुपये 3,56,57,727/- के पूरे दावे की अनुमति देते हैं।हम एओ को ऐसा करने का निर्देश देते हैं।यह मुद्दा निर्धारिती के पक्ष में है।"

बी.

सी.

डी.

(जोर दिया गया) 4.विभाग द्वारा इस मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया था।अन्य के अलावा, अपीलार्थी द्वारा दावा किए गए विषय कटौती से संबंधित कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में विचार करने के लिए निम्नलिखित प्रश्न तैयार किए गए थे।वही इस प्रकार पढ़ा जाता हैः-

ई.

"(3) क्या तथ्यों के आधार पर और मामले की परिस्थितियों में, न्यायाधिकरण निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए विनिमय उतार-चढ़ाव के संबंध में निर्धारण वर्ष के लिए 509/- रुपये के दावे की अस्वीकृति को हटाने में उचित है?(केवल आई. टी. ए. सं. 633/2004 में)।

एफ.

(4) क्या तथ्यों के आधार पर और मामले की परिस्थितियों में, न्यायाधिकरण ने निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए रु. 2,46,04,418.00 के अतिरिक्त दावे की अनुमति देते हुए कहा कि उक्त राशि के पूंजीकरण को राजस्व व्यय के रूप में माना जाना चाहिए?(केवल आई. टी. ए. सं. 633/04 में)।"

जी.

उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले के माध्यम से आई. टी. ए. टी. द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को उलट दिया है, मुख्य रूप से यह देखते हुए कि आई. टी. ए. टी. ने अपने निष्कर्ष के समर्थन में पर्याप्त कारण दर्ज नहीं किए थे और किसी भी मामले में, निष्कर्ष बिना किसी आधार के था।

एच.

5. हमने अपीलार्थी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. गणेश और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री विक्रमजीत बनर्जी को सुना है।

6. रिकॉर्ड से जिन व्यापक निर्विवाद प्रासंगिक तथ्यों का पता लगाया जा सकता है, वे यह हैं कि अपीलकर्ता ने एक राष्ट्रमंडल विकास निगम के साथ ऋण समझौता किया, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड में है, जो समझौते की अनुसूची 1 में वर्णित

अपनी परियोजना को जारी रखने के लिए राशि उधार लेता है-मौजूदा भारतीय उद्यमों को पट्टे पर देने और पूंजी उपकरणों की खरीद के अपने प्राथमिक व्यवसाय का विस्तार करने के लिए।समझौते की अनुसूची 1 इस प्रकार हैः-

बी.

"अनुसूची 1

सी.

(पाठ ए में संदर्भित)

परियोजना का विवरण

इस परियोजना में कंपनी द्वारा भारत के लागू कानूनों और विनियमों और कंपनी के ज्ञापन और संघ के लेखों के अनुसार अपने पट्टे के व्यवसाय में उपयोग किए जाने वाले संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों के अधिग्रहण का वित्तपोषण शामिल है।"

डी.

ऋण विदेशी मुद्रा (5 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग) में प्राप्त किया गया था।हालांकि, ऋण चुकाते समय, विदेशी मुद्रा की दर में अंतर के कारण, अपीलार्थी को अधिक राशि का भुगतान करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी को नुकसान हुआ।वास्तव में, ऋण राशि का उपयोग अपीलार्थी द्वारा किराए की खरीद या पट्टे के आधार पर पूंजी उपकरण की खरीद के लिए मौजूदा भारतीय उद्यमों के वित्तपोषण के लिए किया गया था।तथ्य यह है कि पट्टा और किराया खरीद के आधार पर संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों की खरीद या अधिग्रहण के लिए मौजूदा भारतीय उद्यमों को अपीलार्थी द्वारा वित्तपोषण की गतिविधि एक स्वतंत्र लेनदेन या गतिविधि है जो अपीलार्थी का व्यवसाय है।

ई.

एफ.

7. जहाँ तक संबंध का संबंध है, अपीलार्थी और राष्ट्रमंडल विकास निगम के बीच ऋण का लेन-देन, वही अपीलार्थी द्वारा धन उधार लेने की प्रकृति का था, जो उसके वित्तपोषण के व्यवसाय को जारी रखने के लिए आवश्यक था।यह निश्चित रूप से अपीलार्थी की संपत्ति के सृजन या अपने व्यवसाय के उद्देश्य से भारत के बाहर किसी देश से संपत्ति के अधिग्रहण के लिए नहीं था।ऐसे परिदृश्य में, अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 37 के संदर्भ में इस तरह के लेन-देन के संबंध में हुए पूरे खर्च या नुकसान की कटौती का लाभ उठाना उचित होगा। कारण, ऋण का उपयोग पूरी तरह से और विशेष रूप से व्यवसाय ए के उद्देश्य के लिए किया जाता है।

जी.

एच.

1151

विप्रो फाइनेंस लिमिटेड बनाम.आय कर आयुक्त ए

मौजूदा भारतीय उद्यमों को वित्तपोषित करने के लिए, जिन्हें बदले में, उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों का अधिग्रहण करना था।यह एक अलग बात है कि वे अपीलार्थी के साथ पट्टे और किराया खरीद समझौते के कारण ऐसा कर सकते हैं।फिर भी, यह अपीलार्थी के व्यवसाय से संबंधित एक गतिविधि होगी।मामले के उस दृष्टिकोण में, आई. टी. ए. टी. ने इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम

डी.

XXX

XXX

XXX

16. .....प्राप्त ऋण एक निश्चित अवधि के लिए धन के उपयोग को सुरक्षित करने के लिए किए गए स्थायी व्यय की संपत्ति या लाभ नहीं है. और उस उद्देश्य पर विचार करना अप्रासंगिक है जिसके साथ ऋण प्राप्त किया गया था।.....

ई.

17. .....धन उधार लेने का कार्य किसी व्यवसाय को चलाने के लिए आकस्मिक नहीं था।....."

इसी तरह, एम्पायर जूट कंपनी लिमिटेड **8** के मामले में भी आई. टी. ए. टी. द्वारा व्याख्या की गई है, जो इस प्रकार हैः-

एफ.

"5. .....यह सार्वभौमिक रूप से सही प्रस्ताव नहीं है कि प्राप्तकर्ता के हाथों में जो पूंजी रसीद हो सकती है, वह अनिवार्य रूप से भुगतानकर्ता के संबंध में पूंजीगत व्यय होना चाहिए। यह तथ्य कि एक निश्चित भुगतान प्राप्तकर्ता के हाथों में आय या पूंजी रसीद का गठन करता है, यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण नहीं है कि भुगतान राजस्व है या भुगतानकर्ता के लिए पूंजी संवितरण है।.....

जी.

XXX

XXX

XXX

5 ए. आई. आर 1966 एस. सी. 1053 6 (1980) 4 एस. सी. सी. 25

7 फुटनोट संख्या 5 पर ऊपर 8 फुटनोट संख्या 6 पर ऊपर

एच.

8. .....ऐसे मामले हो सकते हैं जहां खर्च, भले ही स्थायी लाभ का लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया हो, फिर भी, राजस्व खाते में हो सकता है और स्थायी लाभ की कसौटी टूट सकती है।यह एक निर्धारिती द्वारा अर्जित स्थायी प्रकृति का हर लाभ नहीं है जो मामले को निर्धारित सिद्धांत के भीतर लाता है।

इस परीक्षा में।वाणिज्यिक अर्थ में लाभ की प्रकृति पर विचार करने के लिए सामग्री क्या है और यह केवल वहीं है जहां पूंजी क्षेत्र में लाभ है कि इस परीक्षण के आवेदन पर व्यय अस्वीकार्य होगा।यदि लाभ केवल निर्धारिती के व्यापार संचालन को सुविधाजनक बनाने या निर्धारिती के व्यवसाय के प्रबंधन और संचालन को अधिक कुशलता से या अधिक लाभप्रद रूप से करने में सक्षम बनाने में निहित है, तो निश्चित पूंजी को अछूता छोड़ते हुए, व्यय राजस्व खाते पर होगा, भले ही लाभ अनिश्चित भविष्य के लिए बना रहे।यह परीक्षा

बी.

सी.

इसलिए स्थायी लाभ एक निश्चित या निर्णायक परीक्षा नहीं है और इसे किसी दिए गए मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना अंधाधुंध और यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।.....XXX

डी.

XXX

XXX

11. .....“पूंजी का बहिर्गमन क्या है और राजस्व के कारण बहिर्गमन क्या है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कानूनी अधिकारों, यदि कोई हो, तो सुरक्षित, नियोजित या समाप्त होने की प्रक्रिया के न्यायिक वर्गीकरण के बजाय व्यावहारिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण से खर्च की गणना कैसे की जाती है।”

ई.

इस प्रश्न को व्यावसायिक आवश्यकता या समीचीनता के व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। .....”

(जोर दिया गया) 9.एक प्राथमिकता के रूप में, हमारी यह सुविचारित राय है कि आई. टी. ए. टी. द्वारा किए गए विश्लेषण और अपीलार्थी के इस न्यायालय के स्पष्टीकरण के अनुरूप सही दृष्टिकोण होने के विषय दावे के संबंध में आए निष्कर्ष को बरकरार रखने की आवश्यकता है।हमारी राय में, उच्च न्यायालय वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति के संबंध में आई. टी. ए. टी. के विश्लेषण के प्रासंगिक पहलुओं से चूक गया।वास्तव में, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त रिपोर्ट

किए गए निर्णयों को स्वीकार भी नहीं किया है, वर्तमान मामले में इसकी उपयोगिता बहुत कम है।

एफ.

जी.

10. विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. ने तर्क दिया था कि चूंकि अपीलार्थी ने अपनी वापसी में एक सचेत स्पष्ट ए लिया था

एच.

1153

विप्रो फाइनेंस लिमिटेड बनाम.आय कर आयुक्त ए

दावे के हिस्से के पूंजीगत व्यय और आंशिक रूप से राजस्व व्यय के लिए उत्तरदायी होने के संबंध में याचिका, अपीलार्थी के लिए आई. टी. ए. टी. के समक्ष पहली बार यह अनुरोध करने के लिए खुला नहीं था कि पूरे दावे को राजस्व व्यय के रूप में माना जाना चाहिए।इसके अलावा, आई. टी. ए. टी. पहली बार इस तरह के नए दावे पर विचार करने के लिए तैयार नहीं था।इस निवेदन को अस्वीकार किए जाने के लिए कहा जाना चाहिए।सबसे पहले, आई. टी. ए. टी. इस तथ्य के बारे में सचेत था कि यह दावा अपीलार्थी द्वारा उसके समक्ष पहली बार किया गया था, और स्पष्ट रूप से असंगत था और अपीलार्थी द्वारा संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए दायर विवरणी में लिए गए रुख के विपरीत था, जिसमें अपीलार्थी के अधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणियाँ भी शामिल थीं।फिर भी, आई. टी. ए. टी. ने इस दावे को स्वीकार्य माना, भले ही आई. टी. ए. टी. के समक्ष पहली बार, 1961 के अधिनियम की धारा 254 के तहत अपील में, इस कथन पर भरोसा करते हुए।

बी.

सी.

नेशनल थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड में न्यायालय **9.**इसके अलावा**,** आई**.** टी**.** ए**.** टी**.** ने भी

विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दी गई अनापत्ति को स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया, जिसमें अपीलार्थी को रिटर्न में (मूल रूप से दाखिल की गई) पूंजीगत व्यय के रूप में घोषित राशि को राजस्व व्यय के रूप में मानने के लिए नए दावे को स्थापित करने की अनुमति दी गई।नतीजतन, विभाग द्वारा अब की गई आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

डी.

11. विद्वान ए. एस. जी. ने इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया था

हमारे सामने रखी गई आपत्ति कि यह आई. टी. ए. टी. के समक्ष नए दावे को स्वीकार करने के लिए खुला नहीं है। उनके अनुसार, नेशनल थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड 11 में निर्णय केवल रिटर्न में पहले से उल्लिखित दावे के संबंध में एक नया आधार उठाने की अनुमति देता है न कि एक असंगत या विपरीत याचिका या एक नया दावा।हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं।क्योंकि, गोएत्ज़े (इंडिया) लिमिटेड 12 में निर्णय में टिप्पणियों से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी सीमा "मूल्यांकन प्राधिकरण" पर लागू होगी, लेकिन अधिनियम की धारा 254 के तहत दी गई आई. टी. ए. टी. की पूर्ण शक्तियों पर अतिक्रमण नहीं करेगी। दूसरे शब्दों में, यह निर्णय विभाग के लिए कोई फायदेमंद नहीं है।

ई.

एफ.

12. विभाग के विद्वान अधिवक्ता ने भी इस पर भरोसा किया था

सहायक आयकर आयुक्त, वडोदरा बनाम एलेकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड 13 में इस न्यायालय का निर्णय।यह निर्णय

जी.

यह 1961 के अधिनियम की धारा 43 ए के लागू होने के सवाल पर है।

9 फुटनोट संख्या 4 10 [2006] 284 आई. टी. आर. 323 11 फुटनोट संख्या 4 12 पर ऊपर फुटनोट संख्या 10 13 (2010) 4 एस. सी. सी. 482

एच.

तदनुसार, इस निर्णय में व्याख्या वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति के लिए कोई लाभप्रद नहीं होगी।क्योंकि, हम पहले ही देख चुके हैं कि अपीलार्थी ने अपने व्यवसाय के उद्देश्य से भारत के बाहर किसी भी देश से कोई संपत्ति अर्जित नहीं की थी।

13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस अपील को सफल होना चाहिए।उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार करने की आवश्यकता है और इसके बजाय, विवादित निर्णय में उच्च न्यायालय द्वारा जांचे गए दो प्रश्नों पर अपीलार्थी के पक्ष में आई. टी.

ए. टी. दिनांक 1 के निर्णय की पुष्टि और पुनर्स्थापना की आवश्यकता है।हम उसी के अनुसार आदेश देते हैं।

बी.

सी.

14. अपीलार्थी के ₹2,727/- के पूरे दावे को राजस्व व्यय होने की अनुमति देने के परिणामस्वरूप, संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित अंतिम मूल्यांकन आदेश में उपयुक्त संशोधन करना होगा, जिससे परिणामी लाभों जैसे कि अपीलार्थी-निर्धारिती द्वारा ली गई पूंजीकृत पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों (₹1,418/-) से संबंधित विनिमय उतार-चढ़ाव के संबंध में बताई गई राशि के संबंध में प्राप्त मूल्यह्रास को अनुपलब्ध माना जाएगा।

डी.

और गैर।

15. बिना किसी आदेश के उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति है -

लागतें।

ई.

लंबित अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।

एफ.

जी.

एच.